

“बिगोस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक सी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 मार्च 2003—फाल्गुन 12, शक 1924

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2003

अधिसूचना

क्रमांक 329/मभावि/26-1/2003. —अभिभाग्य और अन्य पुर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 (1960 का सं. 10) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तारीख 1-11-2002 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

Raipur, the 3rd March 2003

NOTIFICATION

No. 329/WCD/26-1/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Orphanages and other charitable Homes (Supervision and Control) Act, 1960 (No. 10 of 1960) the State Government hereby appoints the 1st November 2002 as the date on which the said Act shall come into force in the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

